

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1934
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएलआईएसएफपीआई योजना में परिचालन संबंधी चुनौतियां

1934. श्री प्रभुभाई नागाभाई वसावा:
श्री सुनील कुमार:
श्री मितेश पटेल बकाभाई:
श्री सनातन पांडेय:
श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री आशीष दुबे:
श्री मुकेश राजपूत:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएमएफपीआई) के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों के समक्ष प्रमुख परिचालनात्मक चुनौतियां क्या हैं और सरकार द्वारा इन चुनौतियों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने या नए एवं उच्च मूल्य वाले उत्पाद श्रेणियों में विविधीकरण में सहायतार्थ कोई उपाय करने का विचार है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत सहायता-प्रदत्त इकाइयों में दीर्घकालिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी अपनाने और रोजगार सृजन के परिणामों की निगरानी के लिए वर्तमान में कोई तंत्र मौजूद है;
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और
- (छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों में कोई परिचालन संबंधी चुनौती नहीं देखी है।

(ख) और (ग): पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्यम की ज़्यादा भागीदारी और नए और मूल्य वर्धित उत्पाद श्रेणियों में विविधीकरण को आसान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत, 69 आवेदक और आवेदको के 40 कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से हैं। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमों को सहायता देता है।

(घ) और (ङ): पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत, पात्र आवेदक विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के निर्माण और प्रसंस्करण के लिए कई उत्पाद लाइनें स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाते हैं। इस योजना से देश में हर साल 35.00 लाख मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण क्षमता सृजित हुई है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत लगभग 3.39 लाख, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं।

(च) और (छ): बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट नहीं है या इसे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।